



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940

No. 869]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1179(अ).**—भारत सरकार, संचार मंत्रालय के अधिसूचना सं० 791, के तहत, भारतीय बेतार तार (वैश्विक समुद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक का प्रवीणता प्रमाण-पत्र एवं लाइसेंस के संबंध में) संशोधन नियम, 2018 के संबंध में, भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि सं. 1088(अ.), दिनांक 5 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार किया गया है,—

पृष्ठ सं० 1, पंक्ति सं० 1 में “भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1885” के स्थान पर “भारतीय तार अधिनियम, 1885” पढ़ा जाए।

[सं. पी-14036/01/2018-सीओपी]

आर. सी. मलिक, सहायक बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(WIRELESS PLANNING AND CO-ORDINATION WING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 6th December, 2018

**G.S.R. 1179(E).**—In Notification No. 791 of Ministry of Communications, Government of India, relating to the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Amendment Rules, 2018, published vide G.S.R. No. 1088(E), dated 5<sup>th</sup> November, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), following corrections are made:—

on page 1, line 1, for “Indian Wireless Telegraph Act, 1885”, read “Indian Telegraph Act, 1885”.

[No. P-14036/01/2018-COP]

R. C. MALIK, Assistant Wireless Adviser